रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 809] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 6, 2001/कार्तिक 15, 1923
No. 809] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 6, 2001/KARTIKA 15, 1923

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2001

का.आ. 1099(अ).—जबकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 63 की उपधारा (4) के अनुसरण में उत्तरांचल राज्य सरकार ने उत्तरांचल विद्युत निगम लि. तथा उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि. का गठन किया है और केन्द्र सरकार से ऐसे प्रावधान बनाने का अनुरोध किया है जिससे इस प्रकार गठित निगम जिम्मेवारी, परिसंपत्तियों, अधिकारों और देयताओं को ग्रहण कर सकें;

और जबकि केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तरांचल सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें उनके संबंधित मत प्राप्त करने के लिए बुलायी है,

अब इसलिए उत्तर प्रदेश पुनगर्ठन अधिनियम, 2000 की धारा 63 की उप-धारा (4) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दोनों राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त मतों पर उचित विचार करने के बाद केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है नामशः

1. इस आदेश में-

(क) "विद्युत की खपत के अनुपात" से आशय उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों के मध्य विद्युत की खपत के अनुपात से है जो वास्तविक प्रमाणन के तहत 90:10 है ।

(ख) "जल विद्युत शक्यता के अनुपात" से आशय उत्तर प्रदेश राज्य तथा उत्तरांचल के मध्य राज्य के स्वामित्व वाली जल-विद्युत क्षमता के अनुपात से है जो 1:2 है ।

2. उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लि. की परसंपत्तिया, देयताएं, अधिकार एवं जिम्मेवारी अनंतिम रूप से निम्नानुसार उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड तथा उत्तरांचल विद्युत निगम लिमिटेड के मध्य तथा उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड की उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड तथा उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि. के मध्य विभाजित की जाएगी ।

क. परिसम्पत्ति

(i) उत्तरांचल में स्थित उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 और उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 की परिसम्पत्तियाँ उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 और उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 को हस्तांतरित होंगी, जैसा कि मामला हो । उत्तराधिकारी राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित स्थायी परिसम्पत्तियॉ उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 और उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 के साथ रहेंगी ।

(ii) क्षेत्रिय यूनिटों की चल सम्पत्तियाँ और स्टोर्स, स्थान आधार पर हस्तांतरित होंगी । मुख्यालय के स्टोर्स, फर्नीचर और वाहन का विभाजन उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के मामले में विद्युत की खपत के अनुपात में और उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 के मामले में जल विद्युत क्षमता के अनुपात में क्रय वर्ष के अनुसार होगा लेकिन परियोजना/स्कीम विशेष स्टोर्स का आवंटन संबंधित कारपोरेशन को होगा जिन्हें कि परियोजना/स्कीम संबंधित देयताएं हस्तांतरित की जा रही हैं ।

(ख) देयताएं

(i) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 और उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 की परियोजना/सम्पत्ति विशेष देयताएं उत्तरांचल पावर कारपोरेशन और उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0, जैसा मामला हो, को हस्तांतरित होगी जहॉ कि ये परियोजना/सम्पत्ति उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 और उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0, जैसा भी मामला हो, को हस्तांतरित की गयी थी ।

(ii) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 और उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0, जिन्हें उप खण्ड(i) के अंतर्गत कोई परियोजना/सम्पत्ति नहीं सौंपी जा सकती, की देयताओं का विभाजन उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के बीच और उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 और उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 के बीच विद्युत खपत के अनुपात में होगा ।

(ग) अधिकारः

उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लि. एवं उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 को संबंधित राज्य के क्षेत्र उपभोक्ताओं से राजस्व/ बकाया राशि की वसूली करने का अधिकार होगा ।

(घ) संविदाः

संविदाएं उन निगमों को सौपी जाऐंगी जिन्हें संविदा हेतु स्कीम या परिसंपत्ति हस्तांतरित की गई है।

(ङ) कर्मचारीः

उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लि. एवं उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि. के कर्मचारी जो नियत तारीख को उत्तरांचल राज्य के क्षेत्र में तैनात हैं, प्रतिनियुक्ति आधार पर यथास्थिति उत्तरांचल विद्युत निगम लि. एवं उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि. में स्थानांतरित हो जाऐंगे । उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लि. के प्रधान कार्यालय के कर्मचारियों का विभाजन विद्युत खपत के अनुपात पर किया जाएगा जबकि उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि. के प्रधान कार्यालय के कर्मचारियों का विभाजन दोनों राज्यों की मौजूदा जल विद्युत क्षमता के अनुपात के आधार पर किया जाएगा ।

3. विद्युत संबंधी प्रबंधः

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 64 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आदेश देती है कि इस हस्तांतरण की तारीख को उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि. के यूनिटों द्वारा तैयार विद्युत से उत्तरांचल की विद्युत आवश्यकता को पूरा करने के बाद बचे हुए अधिशेष विद्युत को खरीदने का प्रथम अधिकार उत्तर प्रदेश राज्य को होगा । बिक्री/खरीद हेतु दरों का निर्धारण परस्पर व्यवस्था के द्वारा किया जाएगा । ऐसा नहीं होने पर दरों का निर्धारण अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण करेंगे । इस खंड की नवीनतम स्थिति की समीक्षा केन्द्र सरकार द्वारा 2 वर्षों के द्वारा की जाएगी ।

4. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के सभी उपक्रम, परिसंपत्ति, अधिकार, देयताऐं एवं कर्मचारी उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित समझे जाऐंगे ।

5. यह आदेश 9.11.2001 से प्रभावी होगा ।

[सं. 42/7/2000-आर एण्ड आर]

अजय शंकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 5th November, 2001

S.O. 1099(E).—Whereas the Government of the State of Uttaranchal have constituted the Uttaranchal Power Corporation Limited and Uttaranchal Jal Vidyut Nigam Limited in pursuance of Sub-section (4) of Section 63 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000, and have requested the Central Government to make provisions enabling the Corporations so constituted to take over undertakings, assets, rights and liabilities etc.;

And whereas the Central Government convened meetings with the representatives of the Government of Uttar Pradesh and the Government of Uttaranchal to ascertain their respective views ;

Now, therefore, in exercise of powers conferred upon it by clause (a) of sub-section (4) of section 63 of the Uttar Pradesh Re-organisation Act, 2000, after due consideration of views expressed by representatives of both the State Governments, the Central Government, hereby makes the following provisional order, namely :-

1. In this order-

(a) 'ratio of consumption of power' means ratio of consumption of power between the States of Uttar Pradesh and Uttaranchal, which is 90:10 subject to actual verification.

(b) 'ratio of hydro power capacity' means the ratio of State owned hydro capacity between the States of Uttar Pradesh and Uttaranchal, which is 1:2.

2. The assets, liabilities, rights and undertakings of the Uttar Pradesh Power Corporation Limited shall be provisionally divided between Uttar Pradesh Power Corporation Limited and to the Uttaranchal Power Corporation Limited and that of Uttar Pradesh Jal Vidyut Nigam Ltd between Uttar Pradesh Jal Vidyut Nigam Limited and Uttaranchal Jal Vidyut Nigam Limited in the following manner.

(a) Assets :

(i) Fixed assets (land and buildings, installed plants and machinery, transmission and distribution systems, etc.) of Uttar Pradesh Power Corporation Limited and Uttar Pradesh Jal Vidyut Nigam Limited situated in Uttaranchal, shall be transferred to Uttaranchal Power Corporation Ltd. and Uttaranchal Jal Vidyut Nigam Ltd., as the case may be. Fixed assets situated in the successor State of Uttar Pradesh will remain with Uttar Pradesh Power Corporation Limited and Uttar Pradesh Jal Vidyut Nigam Limited.

(ii) Movable assets and stores of the field units shall be transferred on the basis of location. Stores, furniture and vehicles of the Head Offices shall be apportioned according to the year of purchase in the ratio of consumption of power in the case of Uttar Pradesh Power Corporation Limited and in the ratio of hydro power capacity in the case of Uttar Pradesh Jal Vidyut Nigam Limited, except the project/scheme-specific stores which shall be allocated to the concerned Corporation to whom the project/scheme related liabilities are being transferred.

(b) Liabilities :

(i) Project/ Asset specific liabilities of the Uttar Pradesh Power Corporation Limited, and Uttar Pradesh Jal Vidyut Nigam Limited shall be passed on to the Uttaranchal Power Corporation Limited and Uttaranchal Jal Vidyut Nigam Limited, as the case may be, where such project/asset has been transferred to Uttaranchal Power Corporation Limited and Uttaranchal Jal Vidyut Nigam Limited as the case may be.

(ii) The liabilities of the Uttar Pradesh Power Corporation Limited and Uttar Pradesh Jal Vidyut Nigam Limited which cannot be assigned under sub-clause (i) to any project/asset, shall be apportioned between Uttar Pradesh Power Corporation Limited and Uttaranchal Power Corporation Limited, and between Uttar Pradesh Jal Vidyut Nigam Limited and Uttaranchal Jal Vidyut Nigam Limited in the ratio of consumption of power.

(c)Rights :

The Uttar Pradesh Power Corporation Limited, and the Uttaranchal Power Corporation Limited, shall have the right to collect revenues/arrears from consumers located within the territory of the concerned State.

(d) Contracts :

The Contracts shall be assigned to the Corporations to whom the scheme, or assets, for which contract has been entered into have been transferred.

(e) Employees :

Employees of the Uttar Pradesh Power Corporation Limited and Uttar Pradesh Jal Vidyut Nigam Limited, who are, on the appointed day, posted in the area falling within the State of Uttaranchal, shall stand transferred on deputation to Uttaranchal Power Corporation Limited and Uttaranchal Jal Vidyut Nigam Limited, as the case may be. The employees of the head office of the Uttar Pradesh Power Corporation Limited will be divided on the ratio of consumption of power while the employees of the head office of the Uttar Pradesh

Jal Vidyut Nigam Limited will be divided on the ratio of hydro power capacity existing in two States.

3. Arrangement regarding Power :

In exercise of the powers conferred under Section 64 of the Uttar Pradesh Re-organisation Act, 2000 the Central Government hereby orders that the State of Uttar Pradesh shall have the first right of purchase in respect of any surplus power left over from the power generated by the units of the Uttar Pradesh Jal Vidyut Nigam Ltd., existing as on date of this transfer, after meeting the consumption requirements of Uttaranchal. The rates for sale/purchase will be decided by mutual agreement failing which the rates will be decided by the Chairman, Central Electricity Authority. The position regarding this clause will be reviewed by the Central Government after a period of two years.

4. Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd:

All undertakings, assets, rights, liabilities and employees of UP Rajya Vidyut Utpadan Nigam shall stand transferred to Uttar Pradesh.

5. This order shall come into force from 9.11.2001.

[No. 42/7/2000-R&R]
AJAY SHANKAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054